राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2075/2016/जयपुर

मै0 स्वास्तिक उद्योग,
डी–1 निर्माण नगर,हिरापुरा ,जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(प्रशासन) तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   घट–तृतीय, वृत–आई, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज–अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री आर.सी. अग्रवाल,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे **"प्रशासनिक अधिकारी"** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 जिसे आगे **'वैट एक्ट'** कहा जायेगा, की धारा 34 के तहत पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,वृत–आई, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सीएसटी सपठित राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 23, 24 आदेश दिनांक 09.02.2012 को पारित किया है। उक्त कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2016 को Re-Open करने हेतु पेश किया। प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 16.06.2016 द्वारा अस्वीकार कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी के उक्ते आदेश के विरूद्ध यह अपील मय स्थगन अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पेश की गई है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही देते हुए, एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया तथा प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर, प्रशासनिक अधिकारी ने भी उक्त आवेदन पत्र को अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावे।

4. विभागीय पैराकार विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्था न्यायालय के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रशासनिक अधिकारी ने बिना कोई कारण दिए आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। ऐसे आदेश को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध माना जाता है व अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील इस सीमा तक स्वीकार कर, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर, निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, नये सिरे से कर निर्धारण आदेश पारित करे। अपीलार्थी व्यवसायी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 21.11.2016 .को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवे।

6. प्रकरण उपर्युक्त कार्यवाही हेतु, प्रतिप्रेषित किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष